



प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ ::दिनांक: 29-05-2026

विषय: शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में लालगंज राजवाहा के किमी० 43.200, किमी० 49.500, किमी० 54.650, किमी० 63.315, किमी० 65.650 तथा भरौली राजवाहा के किमी० 0.250 पर क्षतिग्रस्त पुलों का चौड़ीकरण एवं ठेकमा राजवाहा के किमी० 78.800 पर नये पुलिया के निर्माण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-628/1502/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 18.05.2026 तथा शासनादेश संख्या-296/2024/385पी/24-27-4-001-104(डब्ल्यू)-/2024, दिनांक 20.06.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-09-051-10-14-24 के अन्तर्गत "शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में लालगंज राजवाहा के किमी० 43.200, किमी० 49.500, किमी० 54.650, किमी० 63.315, किमी० 65.650 तथा भरौली राजवाहा के किमी० 0.250 पर क्षतिग्रस्त पुलों का चौड़ीकरण एवं ठेकमा राजवाहा के किमी० 78.800 पर नये पुलिया के निर्माण की परियोजना" (चलित) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि रू० 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700090511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-382(1)/2026/391पी/26-27-सिं०-4-001-CN-1819852, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मध्य), लखनऊ/ मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ, उ०प्र० ।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, उ०प्र०।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/ नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 11- अनु सचिव /नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेंट सिस्टम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ ।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।